(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 162/2019 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. देरावर पुत्र रिड़मल 2. पाबु पुत्र रिड़मल 3. लाभु पुत्र रिड़मल 4. ढेली बेवा रिड़मल जाति पुरोहित, निवासी लखा (फतेहगढ) हाल निवासी सरस्वती नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मोहनसिंह पुत्र वीरमा 2. रूखबसिंह पुत्र वीरमा 3. मगसिंह पुत्र वीरमा 4. तनेसिंह पुत्र वीरमा 5. पूनमसिंह पुत्र लीला 6. खुमाणसिंह पुत्र लीला 7. झामों पत्नी लीला जाति पुरोहित, निवासी लखा (फतेहगढ) हाल निवासी लीकड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 8. शाखा प्रबंधक, एसबीआई शाखा शिव 9. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 – श्री ईश्वरसिंह भाटी।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 से 7 – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 09.02.2026

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल बालासर के ग्राम लीकड़ी के खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 11.5983 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	देरावर 1/4, पाबू 1/4, लाभू 1/4 पि. रिड़मल, ढेली 1/4 पत्नी रिड़मल, जाति पुरोहित सा. लखा खातेदार	लीकड़ी	85	3.8661	बा.दो.	–	आसमानी
2	मोहनसिंह 1/4, रूखबसिहं 1/4, मगसिंह 1/4, तनेसिंह 1/4 पि. वीरमा जाति पुरोहित सा. लखा खातेदार	लीकड़ी	85	3.8661	बा.दो.	–	पीला
3	पूनमसिंह 1/3, खुमाणसिंह 1/3 पि, लीला, झीमों 1/3 पत्नी लीला जाति पुरोहित सा. लखा खातेदार रहन हिस्सा पूनमसिंह व खुमाणसिंह एसबीआई शाखा शिव	लीकड़ी	85	3.8661	बा.दो.	–	हरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक[illegible] विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 10:13:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)